बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक :- 3087 पटना, दिनांक 31/3/10

ग्रा0वि08(थ)152/09

प्रेषक,

ए0 संतोष मैथ्यू,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार, पटना ।

विषय :- ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं में अंत एवं आरम्भिक शेष की राशि में अंतर ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आप अवगत है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएँ जो मूलत: जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा संचालित होती है, का मासिक/वार्षिक प्रतिवेदन माह अप्रैल में क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विभाग को भेजा जाता है ।

पुन: इन योजनाओं का अंकेक्षण होता है तथा अंकेक्षणोपरान्त वार्षिक प्रतिवेदनों में प्रदर्शित अंतशेष तथा आरम्भिक शेष की राशि में परिवर्तन कर दिया जाता है जिसके कारण पूर्व में भेजा गया मासिक/वार्षिक प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण हो जाता है ।

उक्त परिस्थिति से निपटने के लिए निम्न निदेश दिये जाते हैं:-

(क) केन्द्रांश की राशि TT (Telegraphic Transfer) या DD के द्वारा सीधे जिले को प्राप्त होती है । कई बार जिले के द्वारा 31 मार्च को निर्गत आबंटन को प्राप्तियों में दर्ज नहीं दर्शाया जाता है जबकि निर्गत पदाधिकारी इसे अपने बही में निर्गत किया गया दिखाते हैं । ऐसी परिस्थिति में वेबसाइट से निर्गत आबंटन को भी अपनी प्राप्तियों में पदर्शित करें एवं उसे चेक-इन-ट्रांजिट में अवश्य प्रदर्शित करें । इस तरह हर माह के निर्गत आबंटनादेशों का मिलान कर उसे अपनी प्राप्तियों में अवश्य दर्शाएँ ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा निर्गत राज्यांश या अन्य आबंटनों को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज नही किया जा सकता है कि उनका आहरण जिलों द्वारा नहीं किया गया है, आहरण के पश्चात प्राप्त चेक/DD को बैंक में जमा नहीं किया गया अथवा जमा करने के बाद बैंक स्टेटमेन्ट में नहीं प्रदर्शित हुआ । अत: राज्य सरकार द्वारा निर्गत सभी आबंटनों को शीर्ष आहरित करके प्राप्त चेक/DD का भी प्राप्तियों के रूप में उसी माह प्रदर्शित किया जाए । यह आवश्यक नहीं है कि उक्त चेक/DD बैंक लेखा में प्रदर्शित हो रहा है या नहीं ।

(ग) इस तरह से तैयार किए गए रोकड़ बही से बैंक रिकन्सीलियेशन प्रत्येक माह के 5 तारीख तक करा लिया जाए और उसी के आधार पर मासिक प्रगति प्रतिवेदन 10 तारीख तक अवश्य भेजी जाए ।

कृपया उपरोक्त वर्णित निदेश का अनुपालन करते हुए अप्रैल, 2010 का मासिक प्रगति प्रतिवेदन एवं वर्ष 2009-10 का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन दिनांक 10 अप्रैल तक भेजना सुनिश्चित किया जाए ।

विश्वासभाजन

(ए0 संतोष मैथ्यू) 31/3

सचिव